प्राप्त - 1

पत्रांक–2ब०/ना०नि०–02–02/2019 - २४५ - /न०वि०एवंआ०वि०

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– २५/०३/२०२०

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न नालों के उड़ाही हेतु कुल ₹3500.00 लाख (पैंतीस करोड़ रु०) मात्र की अधियाचना के विरूद्ध तत्काल ₹670.00 लाख (छः करोड़ सत्तर लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना के पत्रांक– 03701, दिनांक– 23.03.2020 द्वारा उल्लेख किया गया है कि पटना में हुए भीषण जल–जमाव के दृष्टिपथ रखते हुए सभी बड़े Outfall Drains की सफाई वृहद पैमाने पर किये जाने का निर्णय लिया गया एवं इसके लिए पटना नगर निगम क्षेत्रानतर्गत कुल 09 बड़े नालों एवं 04 भूगर्भ नालो की उड़ाही करने हेतु निविदा का प्रकाशन किया जा चुका है एवं निगम बोर्ड के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। उक्त कार्यों के सफल क्रियान्वयन एवं तीव्र गति से निष्पादन करने हेतु कुल ₹3500.00 लाख (पैंतीस करोड़ रु०) मात्र आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त वर्णित स्थिति तथा नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न नालों के उड़ाही हेतु कुल ₹3500.00 लाख (पैंतीस करोड़ रु०) मात्र की अधियाचना के विरूद्ध तत्काल ₹670.00 लाख (छः करोड़ सत्तर लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹670.00 लाख (छः करोड़ सत्तर लाख रु०) मात्र।

3. उक्त स्वीकृत राशि ₹670.00 लाख (छः करोड़ सत्तर लाख रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019, पत्रांक– 733, दिनांक– 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक), पत्रांक– 1081, दिनांक– 11.12.2019 (द्वितीय अनुपूरक), पत्रांक– 331, दिनांक– 05.03.2020 (तृतीय अनुपूरक) एवं पत्रांक– 1670, दिनांक– 03.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम, पटना के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter***

Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. स्वीकृत कुल राशि ₹670.00 लाख (छः करोड़ सत्तर लाख रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्यशीर्ष– 01–राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष– 0109–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2217011910109,** विषय शीर्ष 0109.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

7. निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) ***नाला उड़ाही से संबंधित कार्य पटना नगर निगम, पटना द्वारा कराया जायेगा।***

(ii) जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) **योजना का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

(iv) योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशो के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

8. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब०/ना०नि०–02–02/2019 के पृष्ठ सं०–.........23......./टि० पर दिनांक–24/03/2020 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–.........24......./टि० पर दिनांक–24/03/2020 को प्राप्त है ।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24.03.2020

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०नि०–02–02/2019 – 284– /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 24/03/2020

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.03.2020

सरकार के विशेष सचिव।